

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, सवाई माधोपुर।

क्रमांक :सखअ/समा/बजरी/2020-2021/2611

दिनांक:- 3-3-2021

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय के अधिकार क्षेत्र जिला सवाई माधोपुर में तहसीलवार जल खनिज बजरी के स्टॉक की नीलामी दिनांक 24.03.2021 को प्रातः 12.00 बजे कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, सवाई माधोपुर नगर विकास न्यास के पीछे, जटवाड़ा खुर्द, सवाई माधोपुर परिसर में की जाएंगी। इच्छुक बोलीदाता नीलामी से पूर्व तहसीलवार बयाना/अमानत एवं प्रतिभूति राशि जमा कराकर बोली में भाग ले सकते हैं।

(न्यूनतम आरक्षित दर रु. 800/- प्रति टन)

तहसील	खण्डार अनियाल I	खण्डार बडवास	खण्डार बरनावदा	मलारना डूंगर (क्रमांक 1 से 14)	मलारना डूंगर (क्रमांक 15 से 21)	मलारना डूंगर (क्रमांक 22 से 38)	सवाई माधोपुर
बजरी की अनुमानित मात्रा (टन में)	7650	2300	7600	9850	9540	8042	80
बयाना/अमानत राशि(रु. में)	50000	50000	50000	50000	50000	50000	1280
प्रतिभूति/न्यूनतम बोली राशि(रु. में)	306000	92000	304000	394000	381600	321680	3200

नोट:- उक्त नीलामी से संबंधित शर्तों का अवलोकन विभागीय वेबसाइट mines.rajasthan.gov.in पर जाकर किया जा सकता है एवं खनिज बजरी के स्टॉक के संबंध में जानकारी कार्य दिवस में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। नीलामी की कार्यवाही संबंधित दिनांक को पूर्ण न होने पर आगामी कार्यदिवस में भी जारी रहेगी।

3/3/2021
(अनिल गुप्ता)

सहायक खनि अभियन्ता,
सवाई माधोपुर

राजरथान सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, सवाई माधोपुर।
क्रमांक :- सखअ/समा0/अवैध स्टॉक/2020-2021/ दिनांक :-

तहसील खण्डार में खनिज बजरी के जब्त स्टॉको का विवरण

क्र०सं०	ग्राम	जिसको सुपुर्दगी में दिया गया	लेटीट्यूट/लॉन्गीट्यूट	जब्त खनिज की मात्रा
1	बरनावदा	पुलिस कर्मि	26°0'0." 76°39'34.52"	6000 टन
2	बरनावदा	पुलिस कर्मि	25°59'42.0' 76°39'36.0"	1600 टन
3.	बडवास	हल्का पटवारी	25°55'29.06' 76°42'6.71"	600 टन
4.	बडवास	हल्का पटवारी	25°55'24.81' 76°42'20.71"	1500 टन
5.	बडवास	हल्का पटवारी	25°55'38.40' 76°41'57.14"	200 टन
6.	अनियाला	हल्का पटवारी	25°56'5.94' 76°41'38.96"	600 टन
7.	अनियाला	हल्का पटवारी	25°56'8.70' 76°41'30.92"	2000 टन
8.	अनियाला	हल्का पटवारी	25°56'11.92' 76°41'36.78"	800 टन
9.	अनियाला	हल्का पटवारी	25°56'13.71' 76°41'33.53'	250 टन
10.	अनियाला	हल्का पटवारी	25°56'25.12' 76°41'37.38'	4000 टन

तहसील खण्डार में खनिज बजरी का कुल स्टॉक 17550 टन है।

तहसील मलारना डूंगर में खनिज बजरी के जब्त स्टॉको का विवरण

क्र०सं०	ग्राम	जिसको सुपुर्दगी में दिया गया	लेटीट्यूट/लॉन्गीट्यूट	जब्त खनिज की मात्रा
1.	विलौली नदी	हल्का पटवारी चकविलौली	26°13'10.13" 76°33'32.96"	350 टन

2.	बिलौली नदी	हल्का पटवारी चकबिलौली	26°13'04.49" 76°33'31.58"	500 टन
3.	बिलौली नदी	हल्का पटवारी चकबिलौली	26°13'06.48" 76°33'25.38"	400 टन
4.	बाढ़ बिलौली	हल्का पटवारी चकबिलौली	26°13'17.97" 76°32'58.24"	1500 टन
5.	बाढ़ बिलौली	हल्का पटवारी चकबिलौली	26°13'35.31" 76°32'10.69"	200 टन
6.	बाढ़ बिलौली	वन मित्र होमगार्ड	26°13'25.84" 76°32'50.06"	400 टन
7.	बाढ़ बिलौली	हल्का पटवारी चकबिलौली	26°13'20.37" 76°32'57.62"	2000 टन
8.	बाढ़ बिलौली	हल्का पटवारी चकबिलौली	26°13'15.44" 76°33'01.72"	200 टन
9.	बाढ़ बिलौली	हल्का पटवारी	26°12'37.43" 76°32'16.92"	1100 टन
10.	बाढ़ बिलौली	हल्का पटवारी	26°13'28.34" 76°32'26.77"	500 टन
11.	बाढ़ बिलौली	हल्का पटवारी	26°13'19.82" 76°32'58.94"	1000 टन
12.	बाढ़ बिलौली	हल्का पटवारी	26°13'16.73" 76°33'0.29"	1000 टन
13.	बाढ़ बिलौली	हल्का पटवारी	26°13'18.09" 76°32'55.61"	200 टन
14.	बाढ़ बिलौली	हल्का पटवारी चकबिलौली	26°13'19.49" 76°32'55.31"	500 टन
कुल मात्रा				9850 टन
15.	भूखा	हल्का पटवारी भूखा	26°13'29.66" 76°27'20.69"	1100 टन
16.	भूखा	हल्का पटवारी भूखा	26°13'29.53" 76°27'22.62"	1200 टन
17.	भूखा	ग्राम विकास अधिकारी भूखा	26°13'22.41" 76°27'24.38"	1000 टन
18.	भूखा	ग्राम विकास अधिकारी भूखा	26°13'21.46" 76°27'22.92"	5000 टन

19.	श्यामोली	रोजगार सहायक, सांकडा	26°14'14.86" 76°34'18.36"	200 टन
20.	श्यामोली	हल्का पटवारी सांकडा	26°14'21.68" 76°34'20.52"	120 टन
21.	श्यामोली	सहायक सचिव	26°14'0.37" 76°34'33.81"	920 टन
कुल मात्रा				9540 टन
22.	महेश्वरा	सरपंच	26°13'10" 76°18'07"	252 टन
23.	महेश्वरा	हल्का पटवारी	26°13'11.20" 76°18'6.62"	150 टन
24.	पीलवानदी	गिरदावर	26°13'57.70" 76°30'19.59"	2650 टन
25.	भारजा गद्दी		26°15'11.51" 76°23'12.40"	400 टन
26.	भाडोती	पटवारी, भाडोती	26°15'14.74" 76°22'58.70"	150 टन
27.	बिच्छिदौना	हल्का पटवारी बिच्छिदौना	26°13'57.85" 76°30'15.49"	120 टन
28.	बिच्छिदौना	सरपंच बिच्छिदौना	26°13'41.08" 76°30'05.31"	900 टन
29.	बिच्छिदौना	हल्का पटवारी बिच्छिदौना	26°13'46.64" 76°30'06.19"	50 टन
30.	बिच्छिदौना	सरपंच बिच्छिदौना	26°13'37.66" 76°29'57.66"	250 टन
31.	बाढ बिच्छिदौना	हल्का पटवारी दौनायचा	26°14'23.29" 76°30'20.38"	100 टन
32.	बिच्छिदौना	सरपंच बिच्छिदौना	26°13'35.24" 76°29'57.81"	200 टन
33.	बिच्छिदौना	सरपंच बिच्छिदौना	26°13'34.98" 76°29'54.38"	80 टन
34.	बिच्छिदौना	पंचायत सचिव	26°13'44.09" 76°30'8.34"	250 टन
35.	जोलन्दा	सरपंच	26°13'13" 76°18'20"	210 टन

36.	जोलन्दा	सरपंच	26°13'13" 76°18'18"	1130 टन
37.	जोलन्दा	हल्का पटवारी	26°12'54.54" 76°18'42.47"	250 टन
38.	रघवंटी	वन मित्र होमगार्ड	26°14'31.66" 76°33'42.45"	900 टन
कुल मात्रा				8042 टन

तहसील मलारना डूंगर में खनिज बजरी का कुल स्टॉक 27432 टन है।

तहसील सवाई माधोपुर में खनिज बजरी के जल स्टॉको का विवरण

क्र०सं०	जबकी दिनांक	ग्राम	जिसको सुपुर्दगी में दिया गया	लेटीद्यूट / लॉन्गीद्यूट	जल खनिज की मात्रा
1	13.03.20	जड़ावता	ग्राम विकास अधिकारी,	26°14'48" 76°8'47"	80 टन

तहसील सवाई माधोपुर में खनिज बजरी का कुल स्टॉक 80 टन है।

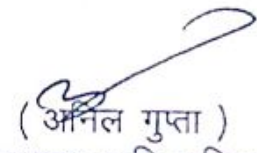
(अनिल गुप्ता)
सहायक खनि अभियन्ता,
सवाई माधोपुर

खनिज बजरी नीलामी की शर्तें

1. बोलीदाता को पहचान पत्र/फोटो आई डी इत्यादि की प्रति, फर्म के मामले में फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र, भागीदारीनामा, एवं मुख्त्यारनामा यदि जारी किया गया हो तथा कम्पन्नी के प्रकरण में मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल, निदेशकों की सूची इत्यादि की प्रति साथ में लानी होगी।
2. बोलीदाता को आयकर विभाग के पेन नम्बर की प्रति संलग्न करनी होगी।
3. बोलीदाता बोली लगाने से पूर्व बयाना राशि 50000/- रुपये एवं अनुमानित लागत की 5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि का डी.डी. सहायक खनि अभियन्ता सवाई माधोपुर के पक्ष में कार्यालय में जमा करवाकर ही बौली में भाग ले सकेगा।
4. सफल बोलीदाता को बोली के पश्चात 3 दिवस में विक्रय मूल्य की समस्त राशि के डी. डी. के साथ-साथ जी.एस.टी. एवं टी.सी.एस. संबंधित बजट मद में जमा करवाकर चालान की प्रति कार्यालय में जमा करवानी होगी।
5. जब्तशुदा बजरी की गुणवत्ता एवं मात्रा का निरीक्षण बोली दिनांक से पूर्व किसी भी दिवस में स्टॉक स्थल पर जाकर किया जा सकता है।
6. सफल बोलीदाता को जब्तशुदा बजरी जिस स्थिति में, जैसी भी व जितनी भी है उसी स्थिति में स्वयं के खर्च पर उठानी होगी।
7. सफल बोलीदाता को खनिज बजरी के स्टॉक के उठाने की कार्यवाही(लोडिंग, अनलोडिंग, मजदूरी व परिवहन इत्यादि अन्य खर्च) अपने स्तर पर ही करनी होगी। इसमें विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी एवं इस पर होने वाला समस्त व्यय बोलीदाता का ही होगा।
8. सफल बोलीदाता को बोली राशि के अलावा जी.एस.टी., टी.सी.एस. एवं अन्य देय कर नियमानुसार जमा करवाने होंगे।
9. नीलामी स्वीकार/अस्वीकार करने का अन्तिम निर्णय नीलामी कमेटी का होगा एवं नीलामी के संबंध में कोई उज्र /आपत्ती होने पर निर्णय से संबंधित समस्त अधिकार कमेटी के पास सुरक्षित होंगे एवं किसी भी न्यायिक वाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र सवाई माधोपुर होगा।
10. सफलतम बोलीदाता को परिवहन हेतु अवधि 15 दिवस सहित अधिकतम 20 दिवस अनुमत होगा।
11. 500 टन से अधिक खनिज बजरी को एक समय में कम से कम 10 वाहनों में विभागीय कार्मिक की उपस्थिति में भरकर व तुलवाकर ही परिवहन किया जा सकेगा। 500 टन से

कम मात्रा के स्टॉक हेतु आवश्यक वाहनों की तदनुसार एक ही बार में व्यवस्था करनी होगी।

12. तुलाई के बाद वाहनों के निर्गमन से पूर्व उनका इन्द्राज विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक हेतु संधारित की जाने वाली स्टॉक पंजिका में किया जायेगा। स्टॉक के बेलेंस की गणना कर रजिस्टर की फोटो संबंधित खनि अभियंता, अधीक्षण खनि अभियंता एवं अधीक्षण खनि अभियंता(सतर्कता) को What's app पर भेजने के पश्चात् ही खनिज निर्गमन की अनुमति होगी।
13. विभागीय कार्मिकों द्वारा नीलाम की गई बजरी के परिवहन में प्रयुक्त विभागीय रवन्ना, वाहनों की फोटो एवं कम्प्यूटरीकृत/अधिकृत तुला यंत्र की वजन पर्ची क्षेत्र के संबंधित उपर अंकित अधिकारियों को What's app पर भेजने के पश्चात् ही वाहनों को रवाना किया जा सकेगा।
14. नीलाम की गई बजरी का पुनः भण्डारण/परिवहन अनुमत नहीं होगा। सफलतम बोलीदाता बजरी को सीधे ही उपयोगित स्थान पर परिवहन करेगा।
15. स्टॉक पर नियुक्त विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक की फोटो, वाहनों की तोल पर्चियां एवं भरे हुए वाहनों के फोटो तत्काल बिना किसी विलम्ब के संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी।
16. प्रत्येक स्टॉक को नियत समय में नहीं हटाने पर विभाग पुनः नीलामी कर सकेगा और इस संबंध में सफल बोलीदाता की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
17. सफल बोलीदाता द्वारा खनिज के निर्गमन हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों के पंजीयन की प्रति एवं वाहन चालक के ड्राइविंग लाइसेन्स की प्रति संबंधित कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। खनिज का परिवहन उक्त वाहनों के अतिरिक्त अन्य वाहनों से अनुमत नहीं होगा।
18. खनिज के परिवहन हेतु विभाग के कार्मिक द्वारा स्टॉक स्थल से प्रत्येक वाहन का मैन्यूअल रवन्ना जारी किया जायेगा।
19. खनिज के परिवहन में जी.पी.एस. युक्त वाहनों को प्राथमिकता दी जायेगी। उक्त निर्देश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।
20. शेष सभी शर्तें सामान्य वित्तिय एवं लेखा नियम के अनुसार रहेंगी।


(अनिल गुप्ता)
सहायक खनि अभियन्ता,
सवाई माधोपुर